This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025 / 08 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 23 सितम्बर, 2025

संख्या: राजस्व-घ (एफ) 4-10/2019-(काँगड़ा).—हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख **नियमावली,** 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.21 में वर्णित/ निर्दिष्ट प्रावधानों अनुसार राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला काँगड़ा के

उपमंडल फतेहपुर में उप-तहसील रे के अन्तर्गत पटवार वृत्त अगाहर से महाल कुलाला व लठयाल को अपवर्जित/निकालकर उप-तहसील रे, के पटवार वृत्त मल्हन्ता में शामिल/समायोजित करने का **अनुबन्ध "क"** में दिये गये विवरण अनुसार सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

अनुबन्ध 'क'

महाल कुलाला व लठयाल को पटवार वृत्त अगाहर, उप-तहसील रे से निकालकर पटवार वृत्त मल्हन्ता, उप-तहसील में शामिल करने पर पटवार वृत्त अगाहर तथा मल्हन्ता की स्थिति निम्न प्रकार से होगीः—

वर्तमान पटवार वृत अगाहर के मुहालों का नाम	वर्तमान पटवार वृत्त अगाहर से दो मुहाल निकालकर पटवार वृत्त मल्हन्ता के साथ सम्मिलित मुहालों का नाम	दो मुहाल निकालकर पटवार वृत्त मल्हन्ता के साथ सम्मिलित करने के बाद अगाहर के मुहालों का नाम
1. **दियाणा खास**	1. **छतराल**	1. **दियाणा खास**
2. **भनोली**	2. **मलहन्ता**	2. **भनोली**
3. **अगाहर**	3. **रूडी**	3. **अगाहर**
4. **वैह**	4. **उत्याड़ा**	4. **वैह**
5. **भद्रयाल**	5. **सिन्हाला**	5. **भद्रयाल**
6. **पुनाल**	6. **भटोली गिलड़ियां**	6. **पुनाल**
7. **पलेला**	7. **जौली**	7. **पलेला**
8. **कुलेली**	8. **उड़ाना**	8. **कुलेली**
9. **वनियाणा गुजरां**	9. **सरकुलाला**	9. **वनियाणा गुजरां**
10. **घुमाली**	10. **कफनाली**	10. **घुमाली**
11. **कुलाला**	11. **बढाहल**	
12. **लठयाल**	12. **कुलाला**	
	13. **लठयाल**	

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 23 सितम्बर, 2025

संख्या: राजस्व-घ (एफ) 4-10/2019-(काँगड़ा).—हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख **नियमावली**, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा के अन्तर्गत वर्तमान पटवार वृत्त हटली व मलहन्ता का विघटन करके नये पटवार वृत्त नंगल, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का अनुलग्नक 'क' में दिये गए विवरण अनुसार खोलने/ सृजन करने का सहर्ष आदेश देते हैं | इस पटवार वृत्त हेतु एक पद पटवारी वेतनमान मु0 20,200-64,000/-(Level-3), मांग संख्याः 5, मुख्यशीर्ष-2029-00-103-04 (गैर-योजना) एवं एक पद अंशकालिक कार्यकर्ता (Part time worker) के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
(के० के० पन्त),
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व) |

अनुबन्ध 'क'

नव सृजित पटवार वृत्त नंगल के सृजन उपरांत पटवार वृत्त हटली में सम्मलित मुहालों का नाम	**नव सृजित पटवार वृत्त नंगल के सृजन उपरांत पटवार वृत्त मल्हन्ता में सम्मिलित मुहालों का नाम**	**नव सृजित पटवार वृत नंगल में सम्मलित किये जाने वाले मुहालों का नाम**
1. **हटली**	1. **छतराल**	1. बदाल
2. **घण्डीरी**	2. **मलहन्ता**	2. पैह
3. **वरूण घण्डीरी**	3. **रूडी**	3. मोच
4. **रजवाल**	4. **उत्याड़ा**	4. नंगल
5. **भाटी जोगिया**	5. **सिन्हाला**	5. बरोह झिकला
6. **मैंगल पीर**	6. **भटोली गिलड़ियां**	6. तड़ोली
7. **परडाह**	7. **जौली**	7. बरोह उपरला
8. **अन्दराह**	8. **उड़ाना**	8. कोठार
9. **तुहारड़**	9. **सरकुलाला**	9. बेही
10. **बाड़ी**	10. **कफनाली**	10. लगड़ा
11. **टुण्ड़**	11. **बढाहल**	11. पंजकूड़ा
12. **गनाह**		12. खडौन
13. **थुलाड़ा**		13. भाटी अनुतरां
		14. भाटी उपरली

14. **जंगल कठियाला** 15. **धनाड़ा** 16. **कोट** 17. **डिन्डखर** 18. **कुंभ झिकली** 19. **मोहली**		15. भाटी डंगवालियां

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla,the 27th September, 2025

No. HPERC-ED(T)/D(TE)/K/2/2025.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has notified the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 *vide* Notification No. HPERC-(H)(1)-1/2012, dated 23rd January 2013 and the same were published in the Rajpatra on 28 January, 2013 (hereinafter referred to as "the said Regulations");

AND WHEREAS, with a view to simplify the cumbersome eligibility criteria for appointment of the independent members of the forum, the Commission consider it necessary and expedient to modify the existing provisions of sub-regulation (1) of Regulation 7 of the said Regulations;

NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred under clauses(r) and (s) of sub-section.(2) of Section 181 sub-sections (5) to (8) of Section 42 of the Electricity Act,.2003.(36 of 2003) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and rule 15 of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and all other powers enabling it in this behalf, proposes further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013, and as required by Rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005, the draft amendment Regulations are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty (30) days from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh together with objections or suggestions, if any, received within the above stipulated period.

The text of the aforesaid Regulations and the draft amendment Regulations is available on the website of the Commission *i.e.* http.//www.hperc.org.

The objections or suggestions in this behalf may be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block-37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla -171009 (H.P.).

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman)(Third Amendment) Regulations, 2025.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 7.—In Regulation 7 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013, in sub-regulation (1), in clause (ii), for sub-clause (a) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(a) who are retired officers of the State Government or its Undertakings having a minimum service of 20 years as such offices and are familiar with the consumer affairs, power sector or regulatory affairs; or"

By order of the Commission,
Sd/-
Secretary.

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 50 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–659–60 दिनांक : 18–09–2025

जगदीश पुत्र अमर नाथ, निवासी गांव व डाकघर द्रेकड़ी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत द्रेकड़ी, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-3976 Dated 18-02-2025, 2. शपथ–पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्राप्यता प्रमाण–पत्र 5. आधार कार्ड 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदक जगदीश पुत्र अमर नाथ, निवासी गांव व डाकघर द्रेकड़ी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक जगदीश का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 18–02–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जगदीश पुत्र अमर नाथ, निवासी गांव व डाकघर द्रेकड़ी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 15–06–1972 जन्म एवं

मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक जगदीश पुत्र अमर नाथ, निवासी गांव व डाकघर द्रेकड़ी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव द्रेकड़ी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 46 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–663–64 दिनांक : 18–09–2025

सुनील कुमार पुत्र हुशियारा राम, निवासी गांव त्रेहड़, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-16122, Dated 26-07-2025, 2. शपथ–पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्राप्यता प्रमाण–पत्र 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल

जिसमें आवेदक सुनील कुमार पुत्र हुशियारा राम, गांव त्रेहड़, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक सुनील कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 26–07–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुनील कुमार पुत्र हुशियारा राम, निवासी गांव त्रेहड़, डाकघर पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 29–07–1984 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक सुनील कुमार पुत्र हुशियारा राम, निवासी गांव त्रेहड़, डाकघर पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 48 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–665–66 दिनांक : 18–09–2025

कन्हैया राम पुत्र जैराम, गांव सियुला, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सियुला, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी।

विषय.—–जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-18078, Dated 22-08-2025, 2. शपथ–पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदक कन्हैया राम पुत्र जैराम, गांव सियुला, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक कन्हैया राम का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 22–08–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कन्हैया राम पुत्र जैराम, गांव सियुला, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01–01–1952 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक कन्हैया राम पुत्र जैराम, गांव सियुला, डाकघर लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सियुला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 49 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–667–68 दिनांक : 18–09–2025

दर्शन कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव सलोट, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी . . प्रतिवादी।

विषय.——जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-18412, Dated 27-08-2025, 2. शपथ–पत्र, 3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदक दर्शन कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव सलोट, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक दर्शन कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 27–08–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दर्शन कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव सलोट, डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 11–01–1979 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक दर्शन कुमार पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव सलोट, डाकघर लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 37 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–661–62 दिनांक : 18–09–2025

धिन्द्रो राम पुत्र कर्मचन्द, गांव गंभीर, परगना जुंड, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत द्रेकड़ी। .. प्रतिवादी।

विषय.——राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

घिन्द्रो राम पुत्र कर्मचन्द, गांव गंभीर, परगना जुंड, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा नाम घिन्द्रो व बच्चों के शिक्षा प्रमाण—पत्र में घिन्द्रो राम दर्ज है जोकि सही है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल खनकुंड, पटवार वृत्त द्रेकड़ी, उप—तहसील तेलका में मेरा नाम घिन्द्रदत्त दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम घिन्द्रदत्त के बजाये घिन्द्रदत्त उर्फ घिन्द्रो उर्फ घिन्द्रो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त द्रेकड़ी को पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18—09—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

——————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री निहाल चन्द पुत्र श्री हीरा लाल, गांव व डाकघर पुखरी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा .. प्रतिवादी।

विषय.——मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4984/2025 दिनांक 06—09—2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/18406, दिनांक 27—08—2025, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) शपथ—पत्र वाशिन्दगान देह (4) मृत्यु रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (6) प्रधान रिपोर्ट जिसमें श्री निहाल चन्द पुत्र श्री हीरा लाल, गांव व डाकघर पुखरी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की बहन श्रीमती रतनी पत्नी श्री चतरो, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण

रजिस्टर में आवेदक की बहन श्रीमती रतनी पत्नी श्री चतरो, ग्राम पंचायत पुखरी की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 27–08–2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती रतनी पत्नी श्री चतरो, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 05–05–2002 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक की बहन श्रीमती रतनी पत्नी श्री चतरो, ग्राम पंचायत पुखरी, परगना त्रयोदी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
44 / NT / 2025	जन्म तिथि पंजीकरण	16–09–2025	08–10–2025

श्री होशियार सिंह पुत्र भुटू राम, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री होशियार सिंह पुत्र भुटू राम, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्री होशियार सिंह पुत्र भुटू राम, वासी मोहाल नलाही, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 10–06–1965 को ग्राम पंचायत लम्बरी में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–10–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
41/NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	15—09—2025	08—10—2025

श्री अजय राणा पुत्र करतार सिंह, वासी मोहाल चकरियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री अजय राणा पुत्र करतार सिंह, वासी मोहाल चकरियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण श्री अजय राणा पुत्र करतार सिंह, वासी मोहाल चकरियाना, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01—05—1985 को ग्राम पंचायत पटलान्दर में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत पटलान्दर में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत पटलान्दर में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08—10—2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
43/NT/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	16—09—2025	08—10—2025

सुश्री विजय कुमारी पुत्री बक्शी राम, वासी मोहाल सपाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री विजय कुमारी पुत्री बक्शी राम, वासी मोहाल सपाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री विजय कुमारी पुत्री बक्शी राम, वासी मोहाल सपाहल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 02–04–1969 को ग्राम पंचायत सपाहल में हुआ था तथा सहबन गलती से ग्राम पंचायत सपाहल में दर्ज नहीं हो पाया है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत सपाहल में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–10–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
50 / NT / 2025	नाम दुरुस्ती	27–08–2025	08–10–2025

श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्रवण दास उर्फ श्रवण सिंह, वासी मोहाल अजल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्रवण दास उर्फ श्रवण सिंह, वासी मोहाल अजल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती राम प्यारी पुत्री श्रवण दास उर्फ श्रवण सिंह, वासी मोहाल अजल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल अजल में राम प्यारी पुत्री श्रवण दास उर्फ श्रवण सिंह दर्ज है, जबकि उनका सही नाम रीता देवी पुत्री श्रवण दास उर्फ श्रवण सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल अजल के राजस्व अभिलेख में राम प्यारी उर्फ रीता देवी पुत्री श्रवण दास उर्फ श्रवण सिंह किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–10–2025 को

सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
52 / NT / 2025	नाम दुरुस्ती	29–08–2025	08–10–2025

श्री मंगल सिंह पुत्र करपाल सिंह, वासी मोहाल सुखानी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती श्री मंगल सिंह पुत्र करपाल सिंह, वासी मोहाल सुखानी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री मंगल सिंह पुत्र करपाल सिंह, वासी मोहाल सुखानी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम मोहाल सुखानी के राजस्व अभिलेख में किरपा राम दर्ज है, जबकि उसका सही नाम करपाल सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मोहाल सुखानी के राजस्व अभिलेख में किरपा राम उर्फ करपाल सिंह किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 08–10–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 23–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख : 09—10—2025

करण सिंह

बनाम

मिनाक्षी देवी आदि

प्रतिवादी श्री रमेश चंद पुत्र सीता राम पुत्र खजाना, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 प्रेमी पुत्र मखोली, श्री प्रीतम चंद, गुलाबा राम, सुखिया राम पुत्रान व श्रीमती लभ्दु देवी, डैन्जो देवी पुत्रियां मैहरी पुत्री बंगाली, श्री नन्द लाल, रमेश चंद व राज कुमार पुत्रान व श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री मोती पुत्र श्रीमती मैहरी देवी, श्री सुनील कुमार पुत्र व श्रीमती व्यासो देवी पत्नी स्व0 दीना नाथ पुत्र मोती, श्री भगत राम पुत्र व श्रीमती केशरो देवी, व्रोधू देवी, रुको देवी, भोटा देवी, निम्मो देवी पुत्रियां श्रीमती कैहरो पुत्री बंगाली, श्री रमेश कुमार व विनय कुमार पुत्रान महाजन पुत्र रसीला, श्री रमेश कुमार पुत्र सीता राम पुत्र खजाना, श्रीमती इंदु पुत्री किशन चंद पुत्र खजाना, गांव गमरू, डाकघर व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा भूमि खाता नंबर 141 मिन, खतौनी नंबर 181 ता 189, रकबा तादादी 5173.93 वर्ग मीटर, जमाबंदी 2019—20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री करण सिंह पुत्र राय सिंह ने प्रार्थना—पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 09—10—2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होंवे। अन्यथा गैर—हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख : 09—10—2025

करण सिंह

बनाम

अनिल कुमार आदि

प्रतिवादी : श्री निक्कू पुत्र व श्रीमती भुन्ज्ला पुत्री लभरी पुत्र पंछी, चतरू व दीनानाथ पुत्रान श्रीमती सोहनी पुत्री लभरी, श्री मनोज कुमार व संजय पुत्रान व रक्षा उर्फ कांति देवी पुत्री व श्रीमती राजो देवी पत्नी

स्व0 मचला पुत्र श्रीमती सोहनी, श्री कार्तिक कुमार पुत्र व कुमारी मुस्कान पुत्री व श्रीमती वीणा देवी पत्नी स्व0 दीप पुत्र श्रीमती सोहनी, श्री संसार चंद व राजेश कुमार पुत्रान व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 गुलाबा पुत्र लभ्दी, भीम सैन पुत्र सूरमा पुत्र पंछी, श्री किशन चंद पुत्र जैसी पुत्र रौनकी, श्री किशोरी लाल व कुलदीप चंद पुत्रान व श्रीमती वीणा देवी पत्नी कुलदीप चंद पुत्र चौकस, श्री कृषण लाल पुत्र रावण पुत्र फतु, गांव गमरू, डाकघर व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा भूमि खाता नंबर 139, खतौनी नंबर 170 ता 179, खसरा कित्ता 143, रकबा तादादी 23882.90 वर्ग मीटर, जमाबंदी 2019—20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री करण सिंह पुत्र राय सिंह ने प्रार्थना—पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 09—10—2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होंवे। अन्यथा गैर—हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख : 09—10—2025

करण सिंह

बनाम

इंदु देवी आदि

प्रतिवादी : श्रीमती इंदु पुत्री किशन चंद पुत्र खजाना, प्रहलाद पुत्र व श्रीमती भुज्ला पुत्री लभ्दी पुत्र पंछी, श्री चतरू, दीना नाथ पुत्रान श्रीमती सोहनी पुत्री लभ्दी, श्री मनोज कुमार, संजय कुमार पुत्रान श्रीमती रक्षा देवी उर्फ कांति देवी पुत्री व श्रीमती रजो देवी पत्नी स्व0 मचला राम पुत्र श्रीमती सोहनी, श्री कार्तिक कुमार पुत्र व कुमारी मुस्कान पुत्री व श्रीमती वीणा देवी पत्नी स्व0 दीप कुमार पुत्र श्रीमती सोहनी, श्री संसार चंद, राजेश कुमार पुत्रान व श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 गुलाबा पुत्र लभ्दी, श्री भीमसैन पुत्र सूरमा पुत्र पंछी, श्री किशन चंद पुत्र जैसी पुत्र रौनकी, श्रीमती वीणा देवी पत्नी कुलदीप चंद पुत्र चौकस राम, श्री कृषण लाल पुत्र रावण पुत्र फतु, श्री सुभाष चंद व सुरेश कुमार पुत्रान डुमनु उपनाम प्रकाश वेड पुत्र दिग्दी, श्री रमेश चंद पुत्र सीता राम पुत्र खजाना, श्री करम चंद, हरवंश लाल, इश्वर दास, देवी राज पुत्रान महाहन पुत्र डैन्जू, श्री अश्वनी कुमार पुत्र बैहमी पुत्र मखौली, श्री किशोरी लाल पुत्र व श्रीमती रुको देवी पुत्री रथ पुत्र डैन्जू, श्री संजय पुत्र व श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 प्रेमी पुत्र मखौली, श्री प्रीतम चंद, सुखिया राम पुत्रान व श्रीमती लभ्दु देवी, डैन्जो देवी, कुंता देवी पुत्रियां श्रीमती मैहरी पुत्र बंगाली, श्री सुनील कुमार पुत्र व श्रीमती व्यासो देवी पत्नी स्व0 दीना नाथ पुत्र मोती राम, श्री नन्द लाल, रमेश, राज कुमार पुत्रान व श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री मोती राम पुत्र मैहरी, श्री किशन चंद, जैसी राम, राजिंदर कुमार पुत्रान व श्रीमती शांति देवी, जीणों देवी पुत्रियां गुलाबा राम पुत्र श्रीमती मैहरी, श्री भगत राम पुत्र व श्रीमती केशरो देवी, बोधू देवी, रुको देवी, भोटा देवी, निम्मो दीव पुत्रियां मैहरी पुत्री बंगाली, श्री रमेश चंद व विनय कुमार पुत्रान महाजन पुत्र रसीला राम निवासियान गांव गमरू, डाकघर व तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा भूमि खाता नंबर 142 मिन, खतौनी नंबर

190 ता 196, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 2540.14 वर्ग मीटर जमाबंदी 2019—20 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री करण सिंह पुत्र राय सिंह ने प्रार्थना—पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष को समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं।

इसलिए इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 09—10—2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होंवे। अन्यथा गैर—हाजिर की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री परस राम पुत्र जैसी राम, गांव वडियाली, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी श्री परस राम पुत्र जैसी राम, गांव वडियाली, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने निवेदन किया है कि उसके बेटे का नाम आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र में रविन्द्र कुमार व राजिन्द्र कुमार पुत्र परस राम दर्ज है, जोकि सही है। लेकिन उसके नाम महाल वडियाली व सुनहारा के राजस्व रिकार्ड में रविन्द्र सिंह व रजिन्द्र सिंह दर्ज है, जोकि गलत है। जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार रविन्द्र सिंह की जगह रविन्द्र कुमार पुत्र परस राम व राजिन्द्र सिंह की जगह रजिन्द्र कुमार पुत्र परस राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17—10—2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 15—10—2025

सन्तोष कुमारी विधवा स्व0 श्री केदार नाथ, निवासी गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0। . . प्रार्थी।

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री केदार नाथ, 2. अनिलिमा कुमारी पुत्री श्री केदार नाथ, 3. पिंकी देवी पुत्री स्व0 श्री केदार नाथ 4. कविता कुमारी पुत्री स्व0 श्री केदार नाथ, निवासी गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर जिला कांगड़ा, हि0प्र0 . . प्रतिवादी।

मुश्त्री मुनादी।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थिया श्रीमती सन्तोष कुमारी विधवा स्व0 श्री केदार नाथ, निवासी गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसके पति का देहान्त दिनांक 19—10—2020 को हो चुका है। यह कि प्रार्थिया अपने पति की मृत्यु का इन्तकाल वसीयत रजि0 नं0 17 / 2024, दिनांक 13—02—2014 के माध्यम से करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण व उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को केदार नाथ पुत्र श्री शहजादा पुत्र मंगतू, निवासी गांव व डाकघर लोअर लम्बागांव, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु का इन्तकाल उनके द्वारा की गई वसीयत के अनुसार सन्तोष कुमारी पत्नी केदार नाथ के नाम करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 15—10—2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 18—10—2025

फतेह चन्द पुत्र डोनी राम उपनाम राम दिता, निवासी गांव व डाकघर अरला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी फतेह चन्द पुत्र डोनी राम उपनाम राम दिता, निवासी गांव व डाकघर अरला, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 18–09–1984 को गांव व डाकघर अरला में हुई है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत अरला के पंचायत अभिलेख में मृत्यु पंजीकरण न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी फतेह चन्द के पिता डोनी राम उपनाम राम दिता की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत अरला के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–10–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी के पिता डोनी राम उपनाम राम दिता की मृत्यु दिनांक 18–09–1984 के आदेश ग्राम पंचायत अदला के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 09–10–2025

हंरवश कुमार पुत्र बांगा राम पुत्र देविया राम, निवासी महाल मोहरला, पटवार वृत्त मैंझा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी हंरवश कुमार पुत्र बांगा राम पुत्र देविया राम, निवासी महाल मोहरला, पटवार वृत्त मैंझा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र, स्कूल त्याग प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थी का सही नाम हंरवश कुमार पुत्र बांका राम है। जबकि महाल मोहरला के राजस्व अभिलेख में सहवन सुभाष चन्द पुत्र बांका राम पुत्र देविया दर्ज कागजात माल है जाकि गलत है। अतः महाल मोहरला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती की जाकर सुभाष चन्द उपनाम हंरवश कुमार पुत्र बांका राम पुत्र देविया सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावें।

अतः इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 09–10–2025 को असालतन या

वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 09—10—2025

श्रीमती गोदावरी पुत्री मनी राम, निवासी घडोरल, डाकघर मैंझा, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया श्रीमती गोदावरी पुत्री मनी राम, निवासी घडोरल, डाकघर मैंझा, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 09—02—1946 को गांव घडोरल, डाकघर मैंझा में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गदियाडा के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया गोदावरी पुत्री मनी राम के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत गदियाडा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09—10—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया गोदावरी पुत्री मनी राम के जन्म दिनांक 09—02—1946 के आदेश ग्राम पंचायत गदियाडा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :—

श्रीमती मोमिना अख्तर पुत्री शब्बीर खान, निवासी गांव व डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती मोमिना अख्तर पुत्री शब्बीर खान, निवासी गांव व डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-*cum*-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 05—06—1983 को गांव व डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22—10—2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

—————————

अज न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 15—2025 तारीख मजरुआ : 02—09—2024 आगामी तारीख : 06—10—2025

श्री लाल सिंह पुत्र जती राम, निवासी गांव आमला—टाला, डाकघर भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे इश्तहार राजपत्र/मुश्त्री मुनादी।

श्री लाल सिंह पुत्र जती राम, निवासी गांव आमला—टाला, डाकघर भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम आधार

कार्ड व पंचायत रिकार्ड में जती राम है, जोकि सही है परन्तु राजस्व महाल बडयार / 30, महाल कोटली / 74 व घरवाण / 25 में लच्छमण है जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिये प्रार्थी के पिता का नाम लच्छमण के स्थान पर राजस्व अभिलेख महाल बडयार / 30, महाल कोटली / 74 व घरवाण / 25 में दर्ज किया जाये।

प्रार्थना–पत्र में नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र, समाचार पत्र / मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम लच्छमण के स्थान पर जती राम महाल बडयार / 30, महाल कोटली / 74 व घरवाण / 25 में दर्ज करने बारा कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06–10–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष / एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 23–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती भवना देवी पुत्री धुड्डू, गांव नारला, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

विषय.——दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती भवना देवी पुत्री धुड्डू, गांव नारला, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम भवना देवी व जन्म दिनांक 30–11–1975 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति / महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–10–2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुन्नू को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्रीमती शीला देवी पत्नी जोगिन्दर सिंह, गांव लोहरा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थी।

विषय.——दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शीला देवी पत्नी जोगिन्दर सिंह, गांव लोहरा, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की लड़की का नाम अक्षु देवी व जन्म दिनांक 02–06–2008 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत भड्वाहन, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति / महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–10–2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत भड्वाहन को उक्त प्रार्थिया की लड़की की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री गुलाब सिंह पुत्र ठोला राम, गांव मोरगलू / सराहन, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . .प्रत्यार्थी।

विषय.——दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुलाब सिंह पुत्र ठोला राम, गांव मोरगलू / सराहन, डाकघर कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम गुलाब सिंह व जन्म दिनांक 22–08–1963 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में अज्ञानतावश दर्ज नहीं करवाया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त व्यक्ति / महिला की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–10–2025 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा कोई

एतराज प्राप्त न होने की सूरत में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुफरी को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जलोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या : 10—XIII/2025 तारीख मजरुआ : 08—08—2025

श्री बंसी लाल पुत्र स्व0 रतनू, निवासी ग्राम करयाली, डाकघर करयाली, उप—तहसील जलोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र।

प्रार्थी श्री बंसी लाल पुत्र स्व0 रतनू, निवासी ग्राम करयाली, डाकघर करयाली, उप—तहसील जलोग, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 24—07—2025 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भू—राजस्व अभिलेख मौजा करयाली में प्रार्थी का नाम हरबंस लाल पुत्र रतनू दर्ज राजस्व कागजात है जोकि गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का करयाली को भेजा गया। पटवारी पटवारवृत्त करयाली से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा करयाली में प्रार्थी का नाम हरबंस लाल पुत्र रतनू दर्ज है। मुताबिक ब्यानात स्थानीय वाशिन्दगान तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, ग्राम पंचायत करयाली से जारी परिवार नकल, शपथ—पत्र तथा आठवीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण—पत्र आदि दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम बंसी लाल है, जोकि सही है। जिससे स्पष्ट होता है कि हरबंस लाल व बंसी लाल एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा करयाली पटवार वृत्त करयाली के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम बंसी लाल उर्फ हरबंस लाल किया जाना वाजिब है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 03—10—2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस अदालत में अपना उजर / एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज न है तथा आवेदन—पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 04—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील जलोग, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल सं0 : 3 / 2025 संस्थापन तिथि : 11–09–2025

एरिका दिवान पुत्री सुरेश दिवान, निवासी मंदरोली, डाकघर दरकोटी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

इस अदालत में सुरेश दिवान पुत्र श्री कृष्णलाल, निवासी मंदरोली, डाकघर दरकोटी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा अपनी पुत्री एरिका दिवान, निवासी मंदरोली, डाकघर दरकोटी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2 / 3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2 / 3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्र संख्या एच.एफ.डब्ल्यू–एस.एम.एल. / जन्म एवं मृत्यु / एस.टी. / 2025–5958, दिनांक 11–09–2025 के माध्यम से इस कार्यालय / न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ–पत्र प्रार्थी व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड संलग्न किए हैं। जिसमें शपथ–पत्र प्रार्थिया व गवाहन के अनुसार एरिका दिवान पुत्री सुरेश दिवान का जन्म दिनांक 04–07–2010 को गांव मंदरोली में हुआ था तथा किसी कारणवश वह अपनी पुत्री का नाम ग्राम पंचायत दरकोटी के जन्म / मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न कर सका है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दरकोटी में दर्ज / पंजीकृत की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति / उजर काबिले समायत न होगी तथा जन्म तिथि 04–07–2010 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Smt. Kiran Chauhan w/o Sh. Mehar Chand Chauhan, r/o Village Kupri, Post Office Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Application under section 13 (3) of registration of Birth in record of Gram Panchayat Karewathi and condon of delay, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla.

Smt. Kiran Chauhan w/o Sh. Mehar Chand Chauhan, r/o Village Kupri, Post Office Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13 (3) of Registration of Birth & Death Act, 1969 to enter the birth of her son in record of the Registrar, Birth & Death-*cum*-Secretary, Gram Panchayat Karewathi, Tehsil Kumarsain as under :—

Name of person	Relation with applicant	Date of Birth
Sh. Aditya Chauhan s/o Sh. Mehar Chand Chauhan	Son	12-12-2002

Hence, this proclamation is hereby issued to the general public and if they have any objection/claim with regard to entry of birth of Sh. Aditya Chauhan s/o Sh. Mehar Chand Chauhan in record of the Registrar, Birth & Death-*cum*-Secretary, Gram Panchayat Karewathi, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Government Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of birth.

Issued on 19th day of September, 2025 under my seal & signature.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

In the Court of Executive Megistrate, Kumarsain, District Shimla (H.P.)

Smt. Juga Devi w/o Sh. Puran Chand, r/o Village Dethal, Post Office & Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.). ..*Applicant*.

Versus

General Public ..*Respondent*.

Notice/Proclamation Regarding Correction of Name in Aadhar Card of Smt. Juga Devi.

Whereas, appliant Smt. Juga Devi w/o Sh. Puran Chand, r/o Village Dethal, Post Office & Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has submitted an application to this court with the request that in the Aadhar card her name has been entered as Savitri Devi, which is wrong. Her correct name is Juga Devi. In support she has attached the copy of family register, copy of Aadhar Card, her name may be corrected as Juga Devi in place of Savitri Devi as per the Panchayat Record.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding correction of name from Savitri Devi to Juga Devi in her Aadhar Card, they may appear before the undersigned on or before 22-10-2025 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order will be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 23rd day of August, 2025 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 12 / 13(3) of 2024 तारीख मजरूआ : 28—08—2025 तारीख पेशी : 18—10—2025

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री कृष्ण दास, हाल निवासी गांव कोट दभूड, डाकघर डीनगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री कृष्ण दास, हाल निवासी गांव कोट दभूड, डाकघर डीनगर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/B&D/Delayed Cases 2025-5758, दिनांक 05—08—2025 को अदालत हजा में दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका जन्म गांव कोट, डाकघर चलाना, ग्राम पंचायत पराडा में दिनांक 15—06—1964 को घर पर ही हुआ था, लेकिन लापरवाही व अज्ञानता के कारण वह आज दिन तक उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत पराडा में दर्ज न करवा सके। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे—सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 18—10—2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18—09—2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सुरेश कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0	किस्म मुकद्दमा	तारीख पेशी
22 / Corr./T/U/2025	नाम दुरुस्ती	25—10—2025

श्री सुखदेव सिंह पुत्र दास राम, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 . . वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश ''मुश्त्री मुनादी'' व चस्पांगी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुखदेव सिंह पुत्र दास राम, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल/उप–महाल जनकौर हार में श्री सुखा पुत्र दास राम दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम सुखदेव सिंह पुत्र दास राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम सुखा उर्फ सुखदेव सिंह पुत्र दास राम किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 25–10–2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री बिपन कुमार पुत्र जुल्फी राम, निवासी गांव घुंगराला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

2. श्रीमती लता ठाकुर पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी जधयाल, डाकघर धारी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

इश्तहार/मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री बिपन कुमार पुत्र जुल्फी राम, निवासी गांव घुंगराला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती लता ठाकुर पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव जधयाल, डाकघर धारी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0 के साथ दिनांक 21–06–2006 को मुताबिक हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुई थी और तब से वे बतौर पति–पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता हैं। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत बेहड़ जसवां के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 18–10–2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Hitesh Kumar s/o Sh. Vijay Kumar, r/o Ward No. 6, Mohalla Chamesani, P.O. Chamba, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Hitesh Sammi to Hitesh Kumar. All concerned please note.

HITESH KUMAR
s/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Ward No. 6, Mohalla Chamesani,
P.O. Chamba, Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sachin Verma s/o Sh. Lala Chand Verma, r/o Manat Niwas, Village Ragyan Bhont, Tehsil & District Shimla (H.P.) Pin- 171003, declare that I have changed my minor daughter's name from Trish Thakur (Old Name) to Trisha Thakur (New Name). All concerned please may note.

SACHIN VERMA
s/o Sh. Lala Chand Verma,
r/o Manat Niwas, Village Ragyan Bhont,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Pawan Kumar s/o Sh. Nek Ram, r/o Village Sakshwal, P.O. Samrahan, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.) declare that in Aadhar Card my son's name is wrongly entered as Yashpal which should be corrected as Yash Thakur. Please correct this.

PAWAN KUMAR
s/o Sh. Nek Ram,
r/o Village Sakshwal, P.O. Samrahan,
Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ranjna Devi d/o Sh. Charan Dass, r/o Barnet, P.O. Totarani, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Rajana Devi in my Aadhar Card. Kindly correct it as Ranjna Devi.

RANJNA DEVI
d/o Sh. Charan Dass,
r/o Barnet, P.O. Totarani,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mandhotra Soniben Tekchand d/o Sh. Tek Chand, r/o Village Jamula (Ghira), P.O. & Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.) declare that my name is wrongly entered as Thakur Soniben in my Aadhar Card. Whereas my correct name is Mandhotra Soniben Tekchand. Please note.

MANDHOTRA SONIBEN TEKCHAND
d/o Sh. Tek Chand,
r/o Village Jamula (Ghira),
P.O. & Tehsil Sandhole, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ku. Sunita w/o Sh. Pradeep Singh, r/o Village, P.O. & Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) hereby declare that my name has been incorrectly mentioned as Sunita in my Aadhar Card No. 7156 3729 4394. The correct name should be Ku. Sunita. All concerned please note.

Ku. SUNITA
w/o Sh. Pradeep Singh,
r/o Village, P.O. & Tehsil Shillai,
District Sirmaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।